हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा व जुर्माना

मंडला, देशबन्धु। माननीय पंचम अपर सत्र न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी मंगल सिंह उर्फ भगलसिंह पिता रामसिंह मरावी आयु 44 वर्ष निवासी औरई थाना बिछिया जिला मण्डला को धारा 302 भादवि (दो काउण्ट) के आरोप में दोषी पाते हुए प्रत्येक आरोप के लिये पृथक-पृथक आजीवन कारावास एवं कुल 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है, कि यशोदा बाई ने इस आशय की देहाती मर्ग इंटीमेशन प्रदर्श पी-1 से 3 समान आशय की लेखबद्ध करायी कि यह ग्राम औरई में रहती है। घरेलू काम करती है। उसका मायका ग्राम औरई है। उसकी शादी 20-22 वर्ष पूर्व खुलवा गांव के मंगल सिंह से हुयी थी। उसका कोई भाई नहीं है। इस कारण उसके माता-पिता ने उसके पति मंगल सिंह को लमसना (घर जमाई) रखा था तब से वह अपने पति बच्चों और माता-पिता के साथ घर में रहती है। दिनांक 07.03.2023 को शाम 07-7.30 बजे उसके माता-पिता जोर-जोर से बातें कर रहे थे तभी उसका पति उससे बोला कि उसके माता-पिता उसे हमेशा गाली-गुप्ता करते है, आज इनको नहीं छोड़ेगा। तब उसने अपने पति से कहा था कि वे लोग आपस में बातें कर रहे है तुमसे कुछ नहीं कह रहे है। तब उसके पति ने उससे कहा कि तू हमेशा अपने माता-पिता का पक्ष लेती है, कहकर उसे धक्का देकर गिरा दिया और बाड़ी में रखे जलाउ लकड़ी उठाकर लाया और उसके माता-पिता को जोर-जोर से लकड़ी से सिर, चेहरे व पीठ में कई जगह मारपीट कर मार डाला है उसके पिता एवं माता की हत्या कर दी है। वह चिल्लाई तो उसका लड़का दुर्गेश और गणेश तथा अन्य लोग आये तो उसका पति मंगल बाड़ी के पीछे तरफ से भाग गया है। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना बिछिया में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्र.97/2023 अन्तर्गत धारा-302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

मामले की संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुयें विचारण उपरांत माननीय पंचम अपर सत्र न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी मंगल सिंह उर्फ भगलसिंह पिता रामसिंह मरावी आयु 44 वर्ष निवासी औरई थाना बिछिया जिला मण्डला को को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन संचालन अपर लोक अभियोजक बृजेश चैरसिया के द्वारा की गई है।

दस किलो गांजा बरामद, दो गिरफ्तार

डिंडोरी, देशबन्धु। जिले में मादक पदार्थों का जिला पुलिस लगातार कार्रवाई करते हुए अपराध पर अंकुश लगाने का प्रयास जारी है है। इसी तारतम्य के दौरान 4 मार्च को कार्रवाई की गई। बताया गया है कि जिले की सीमा में दो आरोपियों के द्वारा गांजा की तस्करी की जा रही है। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस ने प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 मार्च को मुखबिर से सूचना अनुसार कुछ लोग अवैध तरीके से मादक पदार्थ गांजा लेकर बेचने की फिराक में है। कोतवाली पुलिस ने सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर घेराबंदी करते हुए बोलेरो वाहन में दो आरोपियों को 10 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई।

अवैध बोरवेल खनन करने वाले वाहन को थाना कोतवाली की अभिरक्षा में सौंपा

मण्डला, देशबन्धु। कलेक्टर सोमेश मिश्रा के द्वारा ग्रीष्मकाल में संभावित पेयजल संकट के मद्देनजर नवीन निजी नलकूपों के खनन पर 4 मार्च 2025 से 31 जुलाई 2025 तक प्रतिबंध लगाया गया है। उक्त आदेश का जिले में कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे ग्रीष्मकाल में किसी भी प्रकार की पेयजल संकट न रहे। कार्यपालन यंत्री पीएचई ने बताया कि उक्त आदेश के बावजूद भी 5 मार्च 2025 दिन गुरूवार को रात्रि 10:20 बजे ग्राम देवदरा ग्राम पंचायत देवदरा प.ह. क्र.-55, रा.नि.म. तहसील मण्डला में खसरा क्र.-58/2/1/1/1 1/1/1/1/1 रकवा 0.205 हैक्टेयर भूमि स्वामी मेसर्स सत्यकिशोर एवं कम्पनी बस स्टैण्ड रोड मण्डला ब्रजकिशोर अग्रवाल पिता कुंज बिहारी अग्रवाल की भूमि में अनीता गोस्वामी पति द्रोणाचार्य के द्वारा बिना पूर्व अनुमति के बोरवेल खनन कराया जा रहा था। मौके में माँ भगवती बोरवेल की गाड़ी को बोरवेल खनन करते समय राजस्व अनुविभागीय कार्यालय मण्डला के मार्गदर्शन में एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मण्डला की टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही कर खनन करते पकड़ा गया एवं बोरवेल वाहन को पुलिस थाना कोतवाली मण्डला की अभिरक्षा में सौंपा गया। उन्होंने बताया कि शासकीय योजनाओं के अंतर्गत किये जाने वाले नलकूप खनन पर यह आदेश लागू नहीं होगा तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मण्डला द्वारा कार्ययोजना अंतर्गत नलकूप खनन का कार्य कराया जा सकेगा। जिसके लिये अनुज्ञा पत्र किया जाना आवश्यक नहीं होगा। नवीन खनित निजी सफल नलकूप पर एवं अन्य विद्यमान निजी जल स्त्रोतों की आवश्यकता होने पर सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था हेतु अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत अधिग्रहण किया जा सकेगा।

यह आदेश 4 मार्च 2025 से लागू होकर 31 जुलाई 2025 तक प्रभावशील रहेगा।

सार-समाचार

कलेक्टर ने ली समिति की बैठक

मंडला, देशबन्धु। कलेक्टर सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता में जिला कौशल समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने आवश्यक निर्देश दिए। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना है। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाएं और युवाओं को इसका लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। युवाओं को भारत की 500 प्रतिष्ठित कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिसकी आयु सीमा 21 से 24 वर्ष के बीच हो तथा योग्यता 10वी, 12वी, आईटीआई, स्नातक एवं बेरोजगार के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बैठक में उन्होंने पात्रता मापदंड, स्टाईपेंड मानदेय, इंटर्नशिप अवधि, योग्यता, आयु आदि की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री श्रेयांश कूमट, प्राचार्य आईटीआई श्री आरएस वरकड़े सहित संबंधित उपस्थित थे।

पेयजल समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए कंट्रोल रूम स्थापित

मंडला, देशबन्धु। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री मनोज भास्कर ने बताया कि ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिये खण्ड व उपखण्ड स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। उक्त कंट्रोल रूम में प्रात: 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक विभागीय अमले की तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि पेयजल समस्याओं के निराकरण के लिए दो तरह के कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। जिले में खण्ड स्तर के कंट्रोल रूम के प्रभारी कु. सुमनरानी मरावी (उपयंत्री), श्री सी.एल. अरमेती (अनुरेखक) कंट्रोल रूम सहायक व श्री चंदन लाल रघुवंशी कंट्रोल रूम सहायक को नियुक्त किया गया है। जिनसे 7470588230, 7566078782, 9516684066 मोबाईल न. पर सम्पर्क किया जा सकता है। वहीं उपखण्ड स्तर पर मण्डला में श्री विनेश उईके व कु. सोनल को नियुक्त किया गया है। जिन्हे क्रमश: 8357807971, 9111520110 मोबाईल न. पर सम्पर्क किया जा सकता है एवं उपखण्ड मवई में श्री ए.के. जोशी, कु. सुमित्रा उईके व श्रीमति चित्रलेखा टेंभरे जिन्हें क्रमश: मोबाईल न. 7987438501, 7509530137, 9340039221 पर सम्पर्क किया जा सकता है। उपखण्ड नैनपुर में श्री राजकुमार उईके, श्री भुमेश्वर गौतम व जिन्हें क्रमश: मोबाईल न. 7566345485, 7049958662 पर सम्पर्क किया जा सकता है। उपखण्ड नारायणगंज में आशुतोष गुप्ता, गौरव साहू व मुकेश दोहरे जिन्हें क्रमश: मोबाईल न. 6266026887, 8770548392, 9301883171 पर सम्पर्क किया जा सकता है। उपखण्ड निवास में कु. गरिमा मरकाम व तिलेंद्र भाकरे, जिन्हें क्रमश: मोबाईल न. 9098214850, 8966909088 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

मानव अधिकार आयोग ने पांच मामलों में लिया संज्ञान

मंडला, देशबन्धु। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष मनोहर ममतानी ने विगत दिवस के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रथम दृष्टया मानव अधिकार उल्लंघन के ''05 मामलों में'' संज्ञान लेकर संबंधितों से जवाब मांगा है। जिसमे 1 मामला मण्डला जिले के हैं। आयोग ने संबंधितों से जवाब मांगा है। मण्डला जिले के 1 मामला जो समाचार पत्रों मे प्रकाशित हुए थे जिसमें प्रथम दृष्टया मानव अधिकार का उल्लंघन है ऐसे मामले को संज्ञान मे लेकर संबंधितों से जवाब मांगा है। इस बात की जानकारी कार्यालय प्रभारी म. प्र. मानव अधिकार आयोग-मित्र, शिकायत प्रकोष्ठ शाखा मण्डला के वरूण विकास नीखर ने दी है।

मंडला जिले में एक दिव्यांग महिला को सरकारी विभागों की लापरवाही एवं ढीले रवैये के कारण उसके अधिकारों से वंचित रहने का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिव्यांग महिला को उसके विकलांगता प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिये दो महीनों से सरकारी दफ्तारों के चक्कर काटना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण अब तक दिव्यांग महिला का प्रमाण पत्र नवीनीकृत नहीं किया गया है।

समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय के लिए पंजीयन अनिवार्य, जिले में बनाए 36 पंजीयन केन्द्र

मंडला, देशबन्धु। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय करने हेतु किसान पंजीयन कराना अनिवार्य है। कृषकों के लिए नि:शुल्क किसान पंजीयन कराने हेतु एमपी किसान ऐप एवं सहकारी संस्थाओं के माध्यम से स्टेट बैंक के सामने मण्डला, मानेगांव, चिरईडोंगरी रोड, नारायणगंज, निवास, लेम्पस नैनपुर, रैवाड़ा, जामगांव, चीचगांव, पिण्डरई, खिरखिरी, बम्हनीबंजर, चिरईडोंगरी रेल्वे, डिठौरी, लेम्पस बिछिया, खलौड़ी, अंजनिया, ककैया, मोहगांव, विपणन मण्डला, जहरमऊ, विपणन नैनपुर, विपणन बिछिया, बकौरी, टाटरी, लिंगापौड़ी, मुनू, मलारा, घुघरी, घुटास, बीजाडांडी, रामनगर, मानादेई, हिरदेनगर, घुघरा, बबलिया में पंजीयन केन्द्र बनाये गए हैं। सिकमी/ बटाईदार/ कोटवार एवं वन पट्टाधारी कृषकों का पंजीयन केवल सहकारी/विपणन में ही होगा। किसान 20 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक भूमि संबंधी दस्तावेज, किसान का आधार नम्बर, समग्र सदस्य आई.डी., मोबाईल नंबर एवं बैंक पासबुक (फिनो, एयरटेल, पेटीएम बैंक खाता मान्य नहीं होगा) को लेकर सहकारी केन्द्रों एवं अधिकृत कॉमन सर्विस सेन्टर एवं एम.पी. ऑनलाईन में प्रति पंजीयन 50 शुल्क एवं किसान ऐप के माध्यम से गेहूं का पंजीयन कराने की सुविधा उपलब्ध है। किसान पंजीयन में किसी प्रकार की समस्या होने पर जिला कन्ट्रोल रूम में श्री रितुराज भवेदी सहकरिता निरीक्षक मोबाईल नंबर 8959296771 एवं श्रीमती प्रार्थना गजभिये उप अंकेक्षक मोबाईल नंबर 6261963761 पर संपर्क कर सकते हैं।

कलेक्टर ने शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंधात्मक आदेश किए जारी

मण्डला, देशबन्धु। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सोमेश मिश्रा ने मण्डला शहर में यातायात का दबाव बढ़ने से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और आवागमन की सुगम व्यवस्था व जान-माल की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 सहपठित नियम 215 मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के तहत मण्डला शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश निषेधित करने हेतु प्रतिबंधित आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के मुताबिक कटरा नाका से बिंझिया तिराहा की ओर। डिण्डोरी नाका से चिलमन चैक की ओर। पौंड़ी नाका से महाराजपुर मण्डला की ओर। मोहनटोला से आंगन तिराहा मण्डला शहर की ओर। उपरोक्त प्रतिबंध प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक रहेगा। इस समय के दौरान 6 या 6 से अधिक चक्के वाले समस्त भारी वाहनों (ट्रेक्टर ट्राली सहित) को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। अति आवश्यक वस्तुएँ जैसे दूध, सब्जी, फल, अनाज पेट्रोलियम, दवाई वाले वाहनों को दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक की छूट रहेगी। वाहन प्रवेश में छूट के समय के दौरान अधिकतम गतिसीमा 30 किमी प्रति घंटा निर्धारित की गई है।

वाहन मालिक व चालकों को सभी यातायात नियमों का पालन करना होगा एवं विधिवत वाहन में नंबर प्लेट, रिफलेक्टर लगाना होगा तथा वैध बीमा करवाना अनिवार्य होगा। उपनगर महाराजपुर से घंसौर मार्ग नैनपुर, रायपुर बायपास पर आने-जाने दोपहर 2 बजे से सायं 4 बजे एवं रात्रि 8 बजे से प्रतिबंध शिथिल किया गया है।

पुलिस ने 54 लीटर देशी-विदेश शराब के साथ दोपहिया वाहन किया जब्त

मंडला, देशबन्धु। पुलिस ने बताया कि मुखबिर ने बताया था कि डिठौरी तरफ से एक सफेद रंग की बिना नम्बर की टीवीएस कंपनी की जुपीटर स्कूटी से 01 व्यक्ति अबैध रूप से भारी मात्रा में अग्रेजी, देशी शराब लेकर महाराजपुर की तरफ आ रहा है। सूचना मिलने पर थाना स्टाफ के ग्राम डुंगरिया पिण्डरई मेन रोड़ पहुंच रेड कार्यवाही में देशी प्लेन मदिरा कुल 44 लीटर 100 एम.एल. शराब कीमती 19600 रूपये, अग्रेजी शराब मेकडाबल न. 01 रम कुल 3 लीटर 750 एम.एल. शराब कीमती 3250 रूपये, बिलेण्डर की 06 बोतल कुल 4 लीटर 500 एमएल. शराब कीमती 6600/- रूपये, ओल्ड मग 09 क्वार्टर कुल 01 लीटर 620 एम.एल. कीमती 1350/- रूपये, कुल शराब 53 लीटर 970 एमएल कुल कीमती 30,800/- रूपये की तथा एक बिना नम्बर की सफेद रंग की टी.व्ही.एस. कंपनी की जुपीटर स्कूटी कीमती 1,00000 रूपये है की जप्त कर थाना महाराजपुर में अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया है।

कलेक्टर ने की विकास कार्यों की समीक्षा

मंडला, देशबन्धु। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने मनरेगा योजना के अंतर्गत प्रगतिरत कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए समय सीमा में पूर्ण कराएं। कलेक्टर ने कहा कि संबंधित अधिकारी नियमित रूप से कार्यों की मॉनिटरिंग करें। साथ ही शेष बचे कार्यों को जल्द पूर्ण कराएं। प्रगतिरत ग्रेवल सड़क की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत समय पूर्व तैयारियां सुनिश्चित करें। भ्रमण के दौरान सभी अधिकारी पेयजल की कमी वाले क्षेत्रों तथा अमृत सरोवर के लिए स्थल का चयन करें। बैठक में आवास योजना, बंबू प्लांटेशन, नर्सरी, भुगतान की स्थिति, लेवर बजट की उपलब्धता, नियोजित श्रमिकों के विरूद्ध सुसज्जित मानव दिवस के संबंध में समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। दानपत्र के संबंध में समीक्षा करते हुए एक सप्ताह में पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री श्रेयांश कूमट, पीओ मनरेगा श्रीमती रितु तिवारी सहित संबंधित उपस्थित थे।

सतगुरु बाबा ईश्वर शाह के मंडला आगमन पर शिष्यों ने किया भव्य आयोजन

मंडला, देशबन्धु। हरे माधव पूरण सतगुरु बाबा ईश्वर शाह जी का बुधवार को मंडला नगरी में पावन आगमन हुआ। कटरा बाईपास में बाबा जी का स्वागत सत्कार किया गया। नगर आगमन पर सामाजिक, धार्मिक संगठन के द्वारा फूल मालाओं से अभिनंदन किया। नगर आगमन पर पड़ाव से हरे माधव सत्संग भवन सुभाष वार्ड झूलेलाल कॉलोनी तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जिसमें युवाओं और बच्चों ने विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी,खुशियों से सरोबार भक्ति आस्था गीतों पर मनमोहक प्रस्तुतियां हुईं और सतगुरु के आगमन पर अपनी खुशियां जाहिर की। भक्तगण हरे माधव हरे माधव के जय घोष लगाते रहे और भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए।

हरे माधव दिव्य सत्संग, प्रवचन का हुआ आयोजन- संध्याकाल हरे माधव दिव्य सत्संग का आयोजन डिंडोरी मार्ग स्थित लॉन में हुआ जिसमें मंडला के अलावा अन्य शहरों से हजारों श्रद्धालु सतगुरु जी का पावन पुनीत दर्शन,सत्संग वचन श्रवण करने पधारे। सत्संग की शुरुआत हरे माधव सद्ग्रंथ वाणी अरदास से हुई,इसके पश्चात हरिराया सतगुरु जी का आगमन सत्संग पंडाल में हुआ,सतगुरु जी श्री आसन पर विराजमान हुए, हरे माधव रूहानी बाल संस्कार के बच्चों ने श्री चरणों में भावपूर्ण वंदना की,इसके उपरांत सत्संग वचन आरम्भ हुए,सत्संग में हरे माधव सद्ग्रंथ वाणीदृवचन आए।''पूरा गुरु भाव भंजन हारा, पूरा सतगुरु प्रभु ज्यों न्यारा'' यानि पूरण हरिराया सतगुरु ही परब्रम्ह स्वरूप हैं,इस संसार में भवसागर से उबारने में परम समरथ हैं,जीव चाहे कितने ही तप साधन कर ले,मुक्ति की कुंजी तो केवल हरिराया सतगुरु के ही हाथ है। सत्संग में आई प्रेमी संगतों ने अपने अनुभव साझा किए कि हरिराया सतगुरु बाबा ईश्वरशाह साहिब जी की दया रहमत,अनंत उपकार,भक्ति द्वारा उनका जीवन जो पहले मुर्झाया सा था,वह अब खिल उठा है,उनके अनेक दुख सतगुरु कृपा से दूर हुए जीवन दान मिला। संगतों-शिष्यों पर प्रेमामय दृष्टि कर निहाल करते रहे। प्रेम, भक्ति और उल्लास से सराबोर यह दृश्य अविस्मरणीय है।

पावन दर्शन एवं हरे माधव ब्रम्ह भोज का आयोजन- हरे माधव दिव्य सत्संग,प्रवचन के आयोजन के उपरांत पावन दर्शन का सिलसिला चालू हुआ जिसमें कार्यक्रम में आए हजारों श्रद्धालुओं ने क्रमश: सतगुरु बाबा ईश्वर शाह जी के दर्शन किए,माथा टेका और आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके पश्चात हरे माधव ब्रम्ह भोज का आयोजन किया गया जिसमें सभी शामिल जनों ने प्रसादी ग्रहण की।

हरे माधव दरबार का किया भूमि पूजन- गुरुवार को सतगुरु बाबा ईश्वर शाह के द्वारा बिनैका रोड में निर्माण के लिए प्रस्तावित हरे माधव दरबार का भूमिपूजन किया गया। यहां पर हरे माधव परमार्थ सत्संग समिति का भवन निर्माण किया जाना है जिसका पुनीत शुभारंभ साईं जी के करकमलों के द्वारा किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में साध संगत मौजूद रही ।